विनाअनुदानित तत्वावरील व्यवसायिक अभ्यासक्रमांच्या संस्थांच्या विविध प्रस्तावांकरीता नोंदणी शुल्क आकारणे व शासनाच्या खात्यात जमा करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्रमांकः सीईटी २३२४/प्र.क्र.१२७/मिश-२

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. दिनांक : १५ जुलै, २०२४

वाचा:-

संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांचे पत्र क्र. बीबीए-५०२४/प्र.क्र.३५/सीईटीसेल/३४७४ दि. २९.६.२०२४

प्रस्तावना:

राज्यातील उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील विनाअनुदानित तत्वावरील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या संस्था सुरु करणे, नविन अभ्यासक्रम सुरु करणे, मंजूर प्रवेश क्षमतेत बदल करणे, महिला संस्थाचे को-एज्युकेशन मध्ये परिवर्तन करणे तसेच या उलट परिवर्तन करणे इ. बाबींसाठी नोंदणी शुल्क आकारण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय:-

सन २०२४-२५ या वर्षापासून विनाअनुदानित तत्वावरील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या संस्था सुरु करणे, निवन अभ्यासक्रम सुरु करणे, मंजूर प्रवेश क्षमतेत बदल करणे, मिहला संस्थाचे को-एज्युकेशन मध्ये परिवर्तन करणे तसेच या उलट परिवर्तन करणे इ. बाबींसाठी खालील विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे नोंदणी शुल्क आकारण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

| अ.क्र. | प्रस्तावाचे स्वरुप | ज्या ठिकाणी प्रत्यक्ष अभ्यासक्रम सुरु आहे / सुरु करण्यात येणार आहेत त्या ठिकाणासाठी विहित केलेली नोंदणी शुल्कांची रक्कम | | | | | |
|--------|---|---|--|------------------------------------|----------|--|--|
| | | मुंबई , ठाणे, नवी मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र | पुणे, नागपूर छत्रपती संभाजीनगर, पिपिंरी-चिंचवड महानगर पालिक क्षेत्र | उर्वरित महानगर पालिक क्षेत्र | इतर | | |
| 9 | नवीन बी.बी.ए., बी.सी.ए., बी.एम.एस पदवी अभ्यसक्रमांची नवीन महाविद्यालये | ૭५,०००/- | ξο,000/ <u>-</u> | 84,000/- | 30,400/- | | |
| २ | नवीन शिक्षणशास्त्र शारीरिक शिक्षण पदवी अभ्यासक्रमांची महाविद्यालये | ξο,ooo/₋ | 80,000/- | 30,000/- | २०,०००/- | | |

| 3 | नवीन शिक्षणशास्त्र शारीरिक | ξο,000/ ₋ | 80,000/- | 30,000/- | २०,०००/- |
|-----|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------|------------------|
| 7 | शिक्षण पदव्युत्तर पदवी | 40,000, | 00,000, | 70,000/- | ξο,σοσ, – |
| | अभ्यासक्रमांची महाविद्यालय | | | | |
| 8. | नवीन विधी पदवी | <u> </u> | ξο,000/ ₋ | ४५,०००/- | <u> </u> |
| 0. | अभ्यासक्रांची महाविद्यालये | 69,000/ = | 40,000/- | 89,000/- | 70,900/ = |
| 10 | | 101. 000/ | 50.000/ | VI. 000/ | 210.1.00/ |
| ч. | 5 | 04,000/- | &o,ooo/- | ४५,०००/- | ३७,५००/ - |
| | व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची | | | | |
| | महाविद्यालये तथा संस्थेत | | | | |
| | अतिरिक्त / नवीन अभ्यसक्रम | | | | |
| | सुरु करणे व अभ्यासक्रमांच्या | | | | |
| | मंजूर प्रवेश क्षमतेत वाढ करणे | | | | |
| | अथवा प्रवेश क्षमता कमी | | | | |
| | करणे. | | | | |
| દ્દ | सुरु असलेल्या व्यावसायिक | 9,34,000/- | ९०,०००/- | ६७,५००/- | 84,000/- |
| | अभ्यासक्रमांच्या | | | | |
| | महाविद्यालयांचे तथा संस्थांचे | | | | |
| | स्थलांतरण | | | | |
| (9 | सुरु असलेल्या व्यावसायिक | 9,34,000/- | ९०,०००/- | ६७,५००/- | 84,000/- |
| | अभ्यासक्रमांची महाविद्यालये | | | | |
| | बंद करणे | | | | |
| ۷ | सुरु असलेल्या व्यावसायिक | ७५,०००/- | €0,000/- | 84,000/- | <u> 30,400/-</u> |
| | अभ्यासक्रमांची | | | | |
| | महाविद्यालयातील अभ्यासक्रम | | | | |
| | बंद करणे | | | | |
| 8 | सुरु असलेल्या व्यावसायिक | ૭५,०००/- | ६०,०००/- | 84,000/- | <u> 30,400/-</u> |
| | अभ्यासक्रमाच्या संस्थांच्या | | | | |
| | नावात बदल करणे | | | | |
| 90 | महिला संस्थेचे को-एज्युकेशन | 9,34,000/- | ९०,०००/- | ६७,५००/- | 84,000/- |
| | मध्ये परिवर्तन व त्याउलट | | | | |

- २. सदर नोंदणी शुल्क संचालक, उच्च शिक्षण यांनी आकारुन शासनखाती जमा करण्याची कार्यवाही करावी.
- ३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७१५१२१८३९३२०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(हे. सु. पाठक) अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

- मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई
- २. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई

- ३. मा. उपमुख्यमंत्री (१) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई
- ४. मा. उपमुख्यमंत्री (२) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई
- ५. मा.मंत्री, (उच्च व तंत्र शिक्षण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई
- ६. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई.
- ७. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग मंत्रालय मुंबई.
- ८. संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
- ९. सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, (संचालक, उच्च शिक्षण यांच्यामार्फत)
- १०. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई
- ११. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई
- १२. महालेखापाल (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-॥ मुंबई / नागपूर.
- १३. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई
- १४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई
- १५. कुलसचिव, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई
- १६. कुलसचिव, एस.एन.डी.टी. महिला विद्यापीठ, मुंबई
- १७. कुलसचिव, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे
- १८. कुलसचिव, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर
- १९. कुलसचिव, पुण्यश्लोक आहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर
- २०. कुलसचिव, कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगांव
- २१. कुलसचिव, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद.
- २२. कुलसचिव, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड
- २३. कुलसचिव, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती
- २४. कुलसचिव, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर
- २५. कुलसचिव ,गोंडवाना विद्यापीठ.गडचिरोली ,
- २६. निवडनस्ती, मिश-२